तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर अहलकार हुक्म में
10 11/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। जवाबदावा आईन्दा पेश करना चाहते हैं। मिसल वास्ते जवाबदावा दिनांक 20.11.20 को पेश हो।	
20 11/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। जवाबदावा आईन्दा पेश करना चाहते हैं। मिसल वास्ते जवाबदावा दिनांक 14.12.20 को पेश हो।	
14 12/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। श्रीमान A.C. साहब मुख्यालय से बाहर हैं। मिसल दिनांक 12.1.2021 को पेश हो।	
12 1/21	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ.साहब मुख्यालय से बाहर है मिसल दिनांक 4-3-21 को पेश हों वादी अधिवक्ता की ओर से प्रा०पत्र आदेश 22 नियम 4 C.P.C पेश किया गया वास्ते जवाब दिनांक 4-3-21 को पेश हो	
4 3/21	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का जवाब पेश करना नहीं चाहते हैं अतः जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने बहस प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मृतक पक्षकार प्रतिवादी सं. 1 के शेष वारिसान पहले ही पक्षकार वाद हैं। अतः उन्हें पक्षकार प्रतिवादी सं. 1/1 संयोजित किया जावे। वकील प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वादी ने वाद में अनुतोष प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ ही चाहा गया है, अन्य प्रतिवादी तो मात्र प्रतिवादी सं. 1 के कानूनी वारिस होने के कारण पक्षकार वाद संयोजित हैं। वादी ने वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने व राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी [illegible] दादा के नाम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
	कृषि भूमि में हक हिस्सा घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। वादग्रस्त भूमि के वर्तमान खातेदार प्रतिवादी सं. 1 का स्वर्गवास होने से वादग्रस्त भूमि का विरासतन नामान्तरकरण स्वाभाविक रूप से दर्ज होना है जिस नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान वादी के पास विकल्प मौजूद होगा कि वह नामान्तरकरण तस्दीक करने वाली एजेन्सी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे। वादी का वर्तमान वाद प्रभावहीन हो गया है जिस कारण वाद व प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली के अवलोकन से प्रतिवादीगण के तर्कों की पुष्टि होती है तथा मृतक प्रतिवादी सं. 1 जो वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का खातेदार है जिस कारण वादग्रस्त भूमि के विरासतन नामान्तरकरण के दौरान मृतक के वारिसान जिनमें वादी भी स्वयं शामिल मानता है के पास विकल्प मौजूद रहेगा कि वह नामान्तरकरण तस्दीक करने वाली एजेन्सी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे। वर्तमान वाद में मात्र प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ ही अनुतोष चाहा गया था व शेष पक्षकारान गौण प्रतिवादी स्वरूप के हैं जिस कारण प्रभावित पक्षकार प्रतिवादी सं. 1 का स्वर्गवास हो जाने से वाद कानूनी रूप से प्रभावहीन हो गया है जिस कारण प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. स्वीकार कर पक्षकारों को अनावश्यक कानूनी कार्यवाहियों में उलझाये रखना होगा व पक्षकारों व न्यायालय का कीमती समय नष्ट होगा। अतः वादी का यह वाद प्रभावहीन हो जाने से प्रार्थना पत्र व वाद खारिज किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। मिसल फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	